[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.14/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा0का0नि0.......(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 82/2017- सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 1341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं0 2 में, स्तंभ (2) में, ",5007" अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम सं0 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"2क	5007	सभी माल	20%"।

(फा.सं.334/04/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्तूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 1341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं0 1/2018-सीमाशुल्क, तारीख 5 जनवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 14(अ), तारीख 5 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा संशोधित की गई थी ।